संख्या-87/2022/ 553ई /23-11-2022/001-1-1-38-2019

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार/सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी योजना के चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-82/CE-HQ1/RS/2022-23, दिनांक 19-05-2022 एवं पत्र सं0-104/CE-HQ1/RS/2022-23, दिनांक 26-05-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुर्घटनाबाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार/सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत स्वीकृत 02 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 47.10 लाख (रूपये सैंतालीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नि0खं0-2 सोनभद्र	कलवारी राबर्ट्सगंज खलियारी (राज्य मार्ग सं0 154) के किमी0 62.32 से 94.32 तक कॉशन बोर्ड, इण्डिकेशन बोर्ड, शेवरन, डेलीनेटर, हजार्ड मार्कर, जेब्रा क्रासिंग आदि लगाने का कार्य।	78.20	9.00	31.09
2	नि0खं0-1 एटा	जनपद एटा में राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग एवं महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गों पर सड़क सुरक्षा कार्य के अन्तर्गत हम्प, स्पीड ब्रेकर, स्टॉप साइन बोर्ड, स्पीड लिमिट साइन बोर्ड, हजार्ड साइन बोर्ड, शेवरन साइन बोर्ड, कॉशन साइन बोर्ड, जेब्रा क्रासिंग, एज लाइन, सेन आदि का कार्य।	96.09	55.00	16.01
योग:-					47.10

(1)- प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 47,10,000 (रूपये सैंतालीस लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-87/2022/ 553ई /23-11-2022/001-1-1-38-2019, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4-सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5-सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6-मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8-सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11-अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12-सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13-लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
14-नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
15-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।